(ङ) 1990–95 की अवधि के दौरान दूरसंचार और डाक सेवाओं के पूर्ण आधुनिकीकरण और विस्तार योजना की लागत क्रमशः लगभग 19,700 करोड़ रुपये और 205 करोड़ रुपये होने की संभावना है।

ऐतिहासिक पूजा स्थलों की यथापूर्व स्थिति बहाल रखना

1433. श्री मोहम्मद अफ़ज़ल उर्फ मीम अफ़ज़ल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में ऐतिहासिक स्थलों/मस्जिदों की 15 अगस्त, 1947 की यथा स्थिति बहाल रखने हेतु कोई कानून बनाने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कब तक ऐसा कानून पास किये जाने की संभावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) से (ग) सरकार का इस विषय पर आगे विवाद समाप्त करने के उद्देश्य से इस बारे में बहुत जल्दी एक विधायन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित विधायन के ब्यौरों की जांच की जा रही है। हालांकि इस समय कोई निर्धारित तारीख नहीं बतायी जा सकती, फिर भी मामले पर तेजी से कार्रवाई की जा रही है।

साम्प्रदायिक दंगे

1434. डा० अबरार अहमद : क्या गृह मंत्री 17 जुलाई, 1991 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 276 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में राज्य-वार कितने व्यक्तियों को साम्प्रदायिक दंगों के संबंध में गिरफ्तार किया गया ;

(ख) क्या उन भिड़न्तों में लिप्त कुछ लोगों को आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किया गया था ; यदि हां, तो ऐसे लोगों की राज्यवार संख्या क्या है तथा उन लोगों के नाम क्या हैं ; और

(ग) आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अधीन पिछले दो वर्षों में राजस्थान में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या क्या है तथा उनके नाम क्या हैं और वे कब से गिरफ्तार किये गये हैं ; छोड़े गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) उपलब्ध सूचना के आधार पर एक विवरण अनुपत्र के रूप में संलग्न है। [देखिए परिशिष्ट 159, अनुपत्र संख्या 39]

(ख) और (ग) लोक व्यवस्था राज्य का विषय होने के कारण यह कार्य संबंधित राज्यों संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों का है कि वे आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या और उनके नामों के बारे में सूचना रखें। इस मंत्रालय में ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।